

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 637 /2022

दिनांक: 18 .02.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/153/2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा डॉ. नीलम कुमारी (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) को दिनांक 17.01.2022 से 31.01.2022 तक 15 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 16.01.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 17.01.2022 से 18.01.2022 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/58/2017/1305

दिनांक: 18 .02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 548 दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. नीलम कुमारी (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली ।

सहायक रजिस्ट्रार